भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.12.2025 के

तारांकित प्रश्न सं. 145 का उत्तर

पेद्दापल्ली जिले में आरओबी का निर्माण

***145. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ते यातायात और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पेद्दापल्ली जिले के ओडेला में एलसी गेट सं. 31, कोलानुर में एलसी गेट सं. 32 और पेद्दामपेट में एलसी गेट सं. 52 पर सड़क उपरि पुलों (आरओबी) को मंजूरी देने और उनका निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदन की स्थिति, परियोजना लागत और उक्त कार्यों को शुरू करने संबंधी समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में जनता की मांग और भारी वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए इन आरओबी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

पेद्दापल्ली जिले में आरओबी के निर्माण के संबंध में दिनांक 10.12.2025 को लोक सभा में श्री वामसि कृष्णा गद्दाम के तारांकित प्रश्न सं. 145 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): भारतीय रेल में ऊपरी/निचले सड़क पुलों संबंधी कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा और रेलगाड़ियों की गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव के आधार पर ऐसे कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करके शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-25 (अक्टूबर 2025) की अवधि के दौरान भारतीय रेल में निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (अक्टूबर 2025)	13,653 अदद

उल्लिखित स्थानों पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	अवस्थिति	लागत (करोड़ रु. में)	टिप्पणियां
1.	काजीपेट जंक्शन-बल्हारशाह खंड पर कि.मी. 310/33-35 पर समपार संख्या 31	72.69	समपार संख्या 31 और 32 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुलों के कार्यों को स्वीकृत किया जा चुका है। संरेखण को अंतिम रूप देने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
2.	काजीपेट जंक्शन-बल्हारशाह खंड पर कि.मी. 310/1-3 पर समपार संख्या 32	72.17	

3.	काजीपेट जंक्शन-बल्हारशाह खंड पर कि.मी. 270/41-43 पर समपार संख्या 52	91.72	ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

तेलंगाना में स्वीकृत किए गए 63 ऊपरी सड़क पुलों के कार्यों में से, 17 अदद ऊपरी सड़क पुलों के कार्य राज्य सरकार के कारण रूके हुए हैं। इसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	कारण	ऊपरी सड़क पुल (संख्या में)
1.	भूमि अधिग्रहण	16
2.	संरेखण को अंतिम रूप देना	01

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों का समापन और कमीशनिंग विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि समपार बंद करने की सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुँच संरेखण तय करना, सामान्य विन्यास आरेख (जीएडी) का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, अतिलंघनकारी जनोपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण विशिष्ट परियोजना/क्षेत्र में वर्ष में कार्य की अवधि आदि। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

(ii) ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(iii) डिजाइन अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए रेलवे के हिस्से पर सड़क के फैलाव, तिरछापन और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिरचना रेखाचित्रों का मानकीकरण किया गया है। इसे एक सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे शीघ्र नियोजन के लिए रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के लिए सीधे अपनाया जा सकता है।

(iv) रेलवे द्वारा ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्यों को, जहाँ-कहीं संभव हो, एकल इकाई के आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहे, तो रेलवे द्वारा एकल इकाई के आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दी जा सकती है।
